

है। वहां पर अनसेटिसफेक्टी फंक्शनिंग था। उसका सब किया गया और इन्वायरी की गई। इन्वायरी के बाद जैसे पावर सप्लाय को रेस्टोर कर दिया जाता है, वैसे ही इस ठेके को रेस्टोर कर दिया गया।

श्री रणजीत सिंह : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी डिफाल्टर को अप्रेंटिस सोसाइटी को आप ठेका देने का काम कर सकते हैं या ठेका दे सकते हैं? क्या आपके हल्स यह प्रोवाइड करते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने जो पहले बताया, फिर उसको दोहराना पड़ेगा। डिफाल्टर सोसाइटी को कण्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है और ये सोसाइटीज डिफाल्टर नहीं थीं। कुछ दूसरे कारण थे, जिनकी वजह से यह कार्यवाही की गई।

श्री रणजीत सिंह : वह डिफाल्टर था, जिसको कण्ट्रैक्ट दिया गया है। आप छिपा रहे हैं।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Double line from Ernakulam to Trivandrum

*1100. SHRI V. S. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to double the railway line from Ernakulam to Trivandrum during the Sixth Five Year Plan; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Admissible and Non-Admissible Ayurvedic Medicines

*1101. SHRI K. LAKKAPPA: SHRI H. N. NANJE GOWDA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether certain Ayurvedic medicines have been included in the list of inadmissible allopathic medicines for the purpose of C. C. S. (Medical Attendance) Rules;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether there is a proposal to issue fresh lists of Ayurvedic admissible and non-admissible medicines for the purpose and if so, when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR):

(a) and (b). A List of inadmissible medicines has been issued on the authority of Rule 2 (h) (iii) of Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944. The list contains the names of allopathic drugs/preparations as well as some of the Ayurvedic preparations, cost of which is not reimbursable to Central Government employees under the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 and Orders. The items have been so included because of their proprietary nature.

(c) The list of admissible medicines of Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy is under constant review.

स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के उपाय

*1102. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की समूची जनसंख्या का एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) देश में किस-किस प्रकार के संक्रामक रोग फैले हुए हैं; और

(ग) इन रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर):
(क) जी, नहीं।

(ख) देश में फैले प्रमुख संचारी रोग इस प्रकार है :—

मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, कालाअजार, जापानी मस्तिष्क शोथ, हैजा और अतिसार रोग, छोटी माता, डिप्थेरिया, ट्रकोमा, कुकरखांसी पोलियो, आन्तज्वर, धकृतशोथ, इन्फ्लूएंजा, संभोग जनित रोग, खसरा, और टेटनस।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

स्वास्थ्य राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए उपाय करना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है।

2. ऐसे प्रमुख संचारी रोगों के लिए, जिनसे देश में बहुत लॉग पीड़ित होते हैं और काफी मर भी जाते हैं देश भर में ऐसे प्रत्येक रोग के स्थानीय रूप में फैलने वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं :—

(i) मलेरिया :

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।

(ii) फाइलेरिया :

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम।

(iii) कुष्ठ :

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम।

(iv) क्षय रोग :

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम।

(v) दृष्टिहीनता/ट्रकोमा :

दृष्टिहीनता नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

(vi) जच्चा-बच्चा कल्याण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में अतिसार रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम।

(vii) संभोग जनित रोगों के नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

(viii) टेटनस, कुकरखांसी, डिप्थेरिया पोलियो, बचपन में क्षय रोग और आन्तज्वर रोगों के टीकों का विस्तृत कार्यक्रम ; गिनी कृमि उन्मूलन की एक योजना चलाई जाने वाली है।

3. इन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सलाह/मागदर्शन सामान की पूर्ति, प्रशिक्षण, मूल्यांकन आदि के रूप में राज्यों को योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अनुमोदित पैटर्न के अनुसार सहायता दी जाती है।

Transportation of onion from Maharashtra by Rail

*1103. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) as per his assurance in Bombay in recent past for the transport